

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 मार्च 2014—फाल्गुन 19, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1486-65-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 मार्च, 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) अधिनियम, २०१४

[दिनांक १० मार्च, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० मार्च, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये राज्य की संचित निधि में से ७,४५,९३,५८,३०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग सात सौ पैतालीस करोड़ तिरानवे लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
. .	भारित विनियोग-लोक ऋण	राजस्व	०	१,९९,८०,०००	१,९९,८०,०००
		पूंजी	०	५,२६,००,०००	५,२६,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	९,५०,१००	०	९,५०,१००
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२६,००,०००	०	२६,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३.	पुलिस	राजस्व	११,९४,००,०००	०	११,९४,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,१३,०००	०	१,१३,०००
०५.	जेल	राजस्व	१,१०,००,०००	०	१,१०,००,०००
०६.	वित्त	पूंजी	१४,५४,००,०००	०	१४,५४,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	पूंजी	७,९०,०००	०	७,९०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	पूंजी	७,८०,००,०००	०	७,८०,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	०	२६,२२,७२,०००	२६,२२,७२,०००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	५००	०	५००
१४.	पशुपालन	राजस्व	३,१५,०००	०	३,१५,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,७५,७४,१००	०	२,७५,७४,१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१००	०	१००
२१.	आवास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	२०,००,०००	४१,३००	२०,४१,३००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	पूंजी	१,०००	०	१,०००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	४७,८४,००,०००	०	४७,८४,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	५००	०	५००
३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	२,८०,००,०००	०	२,८०,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	राजस्व	१७,७५,००,०००	०	१७,७५,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
	राजस्व	१०,७७,१५,९००	०	१०,७७,१५,९००
	पूंजी	५५,५०,२००	०	५५,५०,२००
४४.	उच्च शिक्षा			
	राजस्व	३००	०	३००
	पूंजी	१००	०	१००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	पूंजी	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास			
	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१००	०	१००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३०,८४,७१,१००	०	३०,८४,७१,१००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१००	०	१००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	२,५३,५३,००,०००	०	२,५३,५३,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	४००	०	४००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी	४,७३,८४,०००	०	४,७३,८४,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	५०,४०,९००	०	५०,४०,९००
		पूंजी	१,११,००,२००	०	१,११,००,२००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	२,७८,०७,०००	०	२,७८,०७,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	५,४०,५०,०००	०	५,४०,५०,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,१२,००,००,१००	०	१,१२,००,००,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	१००	०	१००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२००	०	२००
	योग :	राजस्व	५,०६,६२,३९,४००	२८,२२,९३,३००	५,३४,८५,३२,७००
		पूंजी	२,०५,८२,२५,६००	५,२६,००,०००	२,११,०८,२५,६००
	वृहद-योग :		७,१२,४४,६५,०००	३३,४८,९३,३००	७,४५,९३,५८,३००

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1487-65-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -5) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2014

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 5) ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 10th March, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th March, 2014.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2013-2014.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 2014.

Issue of Rs. 7,45,93,58,300 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2013-2014.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Seven hundred forty five crores ninety three lakhs fifty eight thousands three hundreds rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2013-2014 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation- Public Debt			
	Revenue	0	1,99,80,000	1,99,80,000
	Capital	0	5,26,00,000	5,26,00,000
01.	General Administration & Lok Seva Prabandhan			
	Revenue	9,50,100	0	9,50,100
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	26,00,000	0	26,00,000
03.	Police			
	Revenue	11,94,00,000	0	11,94,00,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	1,13,000	0	1,13,000
05.	Jail			
	Revenue	1,10,00,000	0	1,10,00,000
06.	Finance			
	Capital	14,54,00,000	0	14,54,00,000
07.	Commercial Tax			
	Capital	7,90,000	0	7,90,000
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment			
	Capital	7,80,00,000	0	7,80,00,000
12.	Energy			
	Revenue	0	26,22,72,000	26,22,72,000
	Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	500	0	500
14.	Animal Husbandry	Revenue	3,15,000	0	3,15,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	2,75,74,100	0	2,75,74,100
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	100	0	100
21.	Housing and Environment	Revenue	20,00,000	41,300	20,41,300
24.	Public Works—Roads and Bridges	Capital	1,000	0	1,000
26.	Culture	Revenue	47,84,00,000	0	47,84,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	500	0	500
32.	Public Relations	Revenue	2,80,00,000	0	2,80,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	17,75,00,000	0	17,75,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	10,77,15,900	0	10,77,15,900
		Capital	55,50,200	0	55,50,200
44.	Higher Education	Revenue	300	0	300
		Capital	100	0	100
45.	Minor Irrigation Works	Capital	75,00,00,000	0	75,00,00,000
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
48.	Narmada Valley Development	Capital	100	0	100
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	30,84,71,100	0	30,84,71,100
56.	Rural Industry	Revenue	100	0	100
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	2,53,53,00,000	0	2,53,53,00,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhan package	Revenue	400	0	400
63.	Minority Welfare	Capital	4,73,84,000	0	4,73,84,000
64.	Scheduled Castes Sub-Plan	Revenue	50,40,900	0	50,40,900
		Capital	1,11,00,200	0	1,11,00,200
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	2,78,07,000	0	2,78,07,000
73.	Medical Education Department	Revenue	5,40,50,000	0	5,40,50,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	1,12,00,00,100	0	1,12,00,00,100
76.	New and Renewable Energy Sources	Revenue	100	0	100
77.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	200	0	200
	Total . .	{ Revenue . .	5,06,62,39,400	28,22,93,300	5,34,85,32,700
		{ Capital . .	2,05,82,25,600	5,26,00,000	2,11,08,25,600
	Grand Total . .		7,12,44,65,000	33,48,93,300	7,45,93,58,300